...लत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नन्दलाल / 541

2024/177

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री कपड़ शर्मा श्री उराठप्रसाद सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
5/6/25	नन्दलाल बनाम पूसा (2024 / 177) यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण में आज ही सुनवाई कर प्रकरण निष्प्रभावी होने से निस्तारित किये जाने वास्ते पेश किये जाने से तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि उपरोक्त अपील धारा 212 की पत्रावली में पारित आदेश के विरूद्ध है दिनांक 27.05. 2025 को मूलवाद पत्र बउनवानी पूसा बनाम चन्दा प्रकरण संख्या 65 / 2024 अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में जब मूल वाद पत्र ही खारीज हो चुका है तो उक्त अपील भी निष्प्रभावी हो जाने से चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त उनवानी अपील का मूल वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो जाने से माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त उनवानी अपील स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई हैं। चूंकि मूल वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है अतः उक्त विचाराधीन अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो कि मूल वाद के अभाव में सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner